संख्या- 68/2016/3355/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।।

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक 08 नवम्बर, 2016

विषयः प्रदेश में आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 06 माह से 06 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों के पोषण हेतु हौसला पोषण योजना-फीडिंग कार्यक्रम के संचालन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर-3.5(3) में त्रुटिवश "पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनवाड़ी पर उपलब्ध कराये जाने वाले देशी घी पी0सी0डी0एफ0 द्वारा अन्य दरों पर की जायेगी" अंकित हो गया है, के स्थान पर "पी0सी0डी0एफ0 द्वारा आंगनवाड़ी पर उपलब्ध कराये जाने वाले देशी घी की 500 मिली लीटर पैकेट की लागत 207.01 एवं 01 लीटर पैकट की लागत रूपये 407.28 होगी। उक्त निर्धारित, बाजार दर एवं आउटसोर्सिंग से निगोसिएशन के उपरान्त प्राप्त होने वाली दरों के आधार पर समय-समय पर परिवर्तित होंगी" को संशोधित/प्रतिस्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शासनादेश संख्या-1885/60-2-16-2/3(01)/12 टी.सी.।।, दिनांक 17 जून, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्मिक, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव, न्याय, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन ।
8. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, दुग्ध विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
12. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
14. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
15. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
16. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।
17. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
20. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
21. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डिम्पल वर्मा)
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in